

(न) मैं/ हम भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उपचारों का पालन करने में मेरे/ हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञापिधारी के लिए यह विधि सम्भव होगा कि वह उपरोक्त कथितवितरणसहिता के निबन्धनों के अनुसार आपूर्ति को रोक दें।

(प) मैं/ हम आर्थ यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि अनुज्ञापिधारी को आपूर्ति में किसी विधन/ कानून के द्वारा कारणों के लिए जो उसके नियन्त्रण से पर है उत्तरादायी नहीं ठहराया जायेगा।

ब) मैं/ हम यह समझता हूँ/ समझते हैं कि यह घोषणा पर दो वर्ष पश्चात इस सहितामें वर्णितप्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रशाकार द्वारा नोटिस देकर रद्द की जा सकती है।

च) यह सोचना सामान्य योजना लघु सिंचाई अथवा अन्य किसी योजना के अन्तर्गत संयोजन प्राप्त करने पर नये परिवर्तक स्थापित किया जाता है अथवा पूर्व से ही स्थापित है लेकिन अधिभारित नहीं है ऐसी दशा में उसी परिवर्तक से ००प्र० पारव कार्पोरेशनलिं द्वारा किसी दूरार उपभोक्ता को संयोजन प्रदान किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्तिनहीं होगी।

छ) उपरोक्त कारणोंवश यदि संयोजन का स्थाई विद्युत विच्छेदन मेरे द्वारा कराया जाता है तो संयोजन में प्रश्नोय होने वाली विगम की सामग्री जिसका पैसा ००प्र०पारवकार्पोरेशनलिं के खाते में पूर्व से ही यहा है सामग्री के बूल्य का किसी भी दशा में मेरे द्वारा प्राप्त करने का दावा नहीं किया जाएगा तथा उस सामग्री पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा।

(ज) उपभोक्ता को पूर्व में स्थानित परिवर्तक से एलटीएलाइन पर निजी नलकूप संयोजन प्रदान किया जाता है लेकिन उपभोक्ता उस परिवर्तक से संयोजन नहीं लेना चाहता है ऐसीपरिवर्तिती में उपभोक्ता को नये परिवर्तक हेतु धूट के अतिरिक्त निगम द्वारा निर्धारित परिवर्तक की राशि उपभोक्ता को यहा करना होगा जिसके लिए उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(अ) मैं/ हम घोषणा करता/ करती हूँ कि विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के उपरान्त यदि अगले माह तक विद्युत बिल प्राप्त नहीं होता है तो हमारी/ स्थाम की जिम्मेदारी होगी कि अगले माह/ आगामी बालों में खण्डीय कार्यालय विद्युत वितरण खण्ड ... द्वारा रायबरेली से बिल प्राप्त करेगा/ करता रहेगा तथा उसका मुग्यतान समस्य करेगा/ करता रहेगा।

(ऋ) मैं/ हम आर्थ इस बात पर ज्ञानत हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा दिये गये घोषणा पर को अनुज्ञापिधारी के साथ किये गये उपरोक्त आशय के किसी अनुबन्ध की तरह समझा जायेगा।

(ट) मैं/ हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि आवेदन पर में दिये गये सभी विवरण मेरे/ हमारे ज्ञान में सत्य हैं। बड़े कोई सूखना किसी बाद की दिनोंक पर यतत पाई जाती है तो अनुज्ञापिधारी को आपूर्ति देंकर देने/ काट देने जैसी स्थिति होने का अधिकार होगा।

(ठ) मेरे/ हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरण से कोई अनिवार्य परिवर्धन/ परिवर्तन या चोरी या दुर्विनियोग या भीटर को छेड़ते हुए या उससे कोई छेड़छाड़ न हो। दूसरे शब्दों में मेरे/ हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुज्ञापिधारी द्वारा मुझे/ हमको उपलब्ध कराई गई ऊर्जा को विद्युतसम्भव और प्राधिकरणपूर्ण उपयोग किया जाये। उस दशा में जबकि अनुज्ञापिधारी के पास यह समझने या आशंका करने का युक्तिमुख्य आधार हो कि उपकरण ये अप्राधिकृत परिवर्धन/ परिवर्तन चाहे वह कैसा भी क्यों न हो किया गया है, या दुर्विनियोग या ऊर्जा का उपयोजन या भीटर से छेड़ते हुये विद्युत का प्रयोग किया जा रहा है या उससे छेड़छाड़ की गयी है तो अनुज्ञापिधारी का कोई प्राधिकरणपूर्ण प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह उपकरण भीटर और वायरिंग आदि के सामान्य नियमित और परीक्षण के लिए परिसर में प्रवेश कर सके।

(ड) मैं बच्च देता हूँ कि जब कभी वह परिसर जिसके लिए विद्युत कनेक्शन लिया जा रहा है खाली करना है तो अनुज्ञापिधारी को विद्युत वितरण सहिता में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सूचित करेंगा।  
दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

गवाहों के हौ

① राष्ट्रीय ८० लीलन ५०८  
एप्रैल २०२४ का  
मामले,

ग्रामीणी परियोजना का नाम  
१५ लीला



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP29

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.  
Certificate Issued Date  
Account Reference  
Unique Doc. Reference  
Purchased by  
Description of Document  
Property Description  
Consideration Price (Rs.)  
First Party  
Second Party  
Stamp Duty Paid By  
Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UP29741389382859V  
 : 30-Sep-2023 02:40 PM  
 : NEWIMPACC (SV)/ up14350604/ RAEBARELI SADAH/ UP-HAD  
 : SUBIN-UPUP1435060455228696794310V  
 : BUDHRAM SO RAM BAHADUR  
 : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement  
 : Not Applicable  
 :  
 : BUDHRAM SO RAM BAHADUR  
 : Not Applicable  
 : BUDHRAM SO RAM BAHADUR  
 : 100  
 : (One Hundred only)



## घोषणा- पत्र

Please write or type below this line

मैं...। हम .....सत्यनिष्ठा से आश्वासन और वचन देता हूँ । देते हैं कि  
 :- [क] मैं \ हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ। करते हैं कि मैं हमअनुज्ञप्तिधारी से आपूर्ति  
 के प्रारम्भ के दिनांक ..... से 2वर्षो के न्यून अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित  
 उद्देश्यों के लिए ऊर्जा का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूँ। रखते हैं।  
 [ख] मैं \ हम आयोंग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी की वितरण संहिता [कोड] को उसमें  
 उल्लिखित किंही उपान्तरणों सहित और भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के उपबन्धों का  
 इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली का और विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के उपबन्धों  
 से जहाँ तक कि यह प्रयोज्य हैं बाध्य होने को सहमत हूँ।

